इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड : 12 अंक संख्या: 3 अक्तूबर, 2019 पृष्ठों की संख्या 16

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ --2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ---4
विनियमकों के कथन ---6
नई नियुक्तियाँ--7
उत्पाद एवं गठजोड़---7
विदेशी मुद्रा --8
शब्दावली ---8
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी -----------------------------------9
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ---------------------------------------9
संस्थान समाचार --10
नयी पहलकदमी --12
प्रशिक्षण ---13
बाजार की खबरें --14

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश: 'ब्याज दरों को बाह्य बेंचमार्क दरों से जोड़ें'

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए 1 अक्तूबर से खुदरा, वैयक्तिक और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम उधारकर्ताओं को लागू होने वाले अस्थिर दर वाले सभी नए ऋणों को एक बाह्य बेंचमार्क से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। बैंक बाह्य बेंचमार्क से जुड़े इस प्रकार के ऋण अन्य प्रकार के उधारकर्ताओं को भी प्रदान कर सकते हैं। बैंक इन ऋणों को या तो भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत पुनर्खरीद (repo) दर, भारत सरकार के 3 माह, 6 माह वाले खाजना बिलों के प्रतिफल या फिर फाइनैन्सियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित बाजार की किसी अन्य आधार (benchmark) ब्याज दर से बेंचमार्क कर सकते हैं। बैंक बाह्य बेंचमार्क पर कीमत-लागत अंतर (spread) निर्धारित करने हेतु स्वतंत्र होंगे, किन्तु ऋण जोखिम प्रीमियम केवल तभी परिवर्तित किया जा सकता है जब उधारकर्ता के साख निर्धारण में पर्याप्त रूप से परिवर्तन हो। परिचालन लागत सहित कीमत-लागत अंतर के अन्य घटकों में तीन वर्ष में एक बार परिवर्तन किया जा सकता है। ब्याज दर को तीन माह में कम से कम एक बार पुनर्निर्धारित/पुन: नियत किया जाना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक ने विफल डिजिटल लेनदेनों पर विवादों का निवारण करने हेतु मानदंड निर्धारित किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों में विफल लेनदेनों से संबन्धित ग्राहक शिकायतों के निवारण में लगने वाले समय में समनुरूपता लाने के संबंध में तथा ऐसे लेनदेनों के लिए प्रतिकर/मुआवजे के संबंध में एक ढांचा तैयार किया है। उक्त ढांचे के परिणामस्वरूप ग्राहक विश्वास पैदा होगा तथा ऐसे विफल लेनदेनों पर कार्रवाई में एकरूपता आएगी जिन्हें ऐसे कारणों से पूरा नहीं किया जा सका था जिनके लिए ग्राहक को जिम्मेदार न ठहराया जा सके। सूक्ष्म एटीएमों सहित स्वचालित टेलर मशीनों (ATMs) पर किए जाने वाले लेनदेनों के मामले में यदि किसी ग्राहक के खाते को नामे किया गया हो, किन्तु नकदी संवितरित न की गई हो, तो विफल लेनदेन के स्वत: प्रत्यावर्तन (auto-reversal) की समय-सीमा है टी (लेनदेन का दिन) +5 दिवस। खाता धारक के खाते में देय प्रतिकर/मुआवजा है टी +5 दिनों से अधिक की देरी के लिए प्रति दिन 100 रुपए।

बिक्री केन्द्रों (PoS) पर नकदी सहित बिक्री केन्द्रों पर (कार्ड की मौजूदगी) और उसके साथ ही कार्ड की गैर-मौजूदगी (ई-वाणिज्य) वाले लेनदेनों के मामले में यदि खाते को नामे किया गया हो, किन्तु व्यापारी स्थल पर पुष्टि न प्राप्त हुई हो, तो विफल लेनदेन के स्वत: प्रतिवर्तन की समय-सीमा और देय प्रतिकर वही है जो एटीमों पर विफल लेनदेनों के लिए लागू होती है। कार्ड से कार्ड तक अंतरण से संबन्धित लेनदेनों के मामले में यदि कार्ड खाते को नामे किया गया हो, किन्तु लाभार्थी के कार्ड खाते में जमा न किया गया हो, तो लाभार्थी के खाते में जमा न किए जाने की स्थिति में उस लेनदेन को अधिक से अधिक टी + 1 दिन के भीतर प्रतिवर्तित किया जाना होगा। इस मामले में देय प्रतिकर है टी + 1 दिन से अधिक की देरी के लिए प्रति दिन 100 रुपए।

भारित औसत मांग दर लक्ष्यित दर के रूप में जारी रहेगी : भारतीय रिजर्व बैंक पैनल

चलनिधि प्रबंधन ढांचे का पुनरीक्षण करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के आंतरिक कार्य दल ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह कहा गया है कि मौजूदा चलनिधि प्रबंधन ढांचे को व्यापक रूप से उसके वर्तमान रूप - लक्ष्यित दर के रूप- में मांग मुद्रा दर के साथ एक गलियारा (corridor) प्रणाली - में जारी रखा जाना चाहिए। नीतिगत दर के

रूप में पुनर्खरीद दर के साथ इस गलियारा प्रणाली की डिजाइन के लिए सामान्यतया प्रणाली चलनिधि को बैंकिंग प्रणाली की निवल मांग और सावधि देयताओं (NDTL) के लगभग 0.25% से 0.5% के मामूली घाटे में रखने की आवश्यकता होगी। उक्त रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि चलनिधि प्रबंधन ढांचा अंतर-बैंक मुद्रा बाजार में मूल्य-अन्वेषण प्रक्रिया की जड़ें नहीं काटता। उक्त दल ने खुले बाजार के परिचालनों (OMOs) तथा विदेशी मुद्रा अदला-बदलियों (swaps) के अतिरिक्त बाजार से संबन्धित दरों पर अपेक्षाकृत लंबी अवधि वाले पुनर्खरीद परिचालनों की सिफ़ारिश की है।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने दी सभी आवर्ती बिलों के बीबीपीएस के जरिये भुगतान की अनुमति

एक उपभोक्तानुकूल पहलकदमी में भारतीय रिजर्व बैंक ने विद्यालयीन शुल्कों, बीमा प्रीमियम और नगरपालिका करों सहित सभी पुनरावर्ती बिल भुगतानों को शामिल करने हेतु भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) के कार्य-क्षेत्र को विस्तारित कर दिया है। वर्तमान में, यह सुविधा केवल पाँच खंडों, यथा - सीधे घर को (DTH), बिजली, गैस, दूरसंचार और जल में ही उपलब्ध है। हालांकि, पूर्व-प्रदत्त प्रभारों को इस पहलकदमी के विषय-क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश : जोखिम-संवेदी क्षेत्रों को संगामी लेखा-परीक्षा में शामिल करें

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से अपने संबन्धित व्यवसाय मॉडलों के अनुसार उनके द्वारा अभिज्ञात जोखिम-संवेदी क्षेत्रों को संगामी लेखा-परीक्षा में शामिल करने के लिए कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार संगामी लेखा-परीक्षा में शामिल किए जाने वाले व्यापक क्षेत्र इकाई के अभिज्ञात जोखिम पर आधारित होंगे तथा उनमें जहां कहीं भी आवश्यकता पड़े ऐसे लेनदेनों के पर्याप्त रूप से बड़े नमूनों की यादृच्छिक लेनदेन जांच को आवश्यक रूप से शामिल किया जाए। संगामी लेखा-परीक्षा

के विस्तृत विषय-क्षेत्र, जिसका उद्देश्य किसी लेनदेन और उसकी स्वतंत्र जांच के बीच वाले अंतराल को कम करना होता है, का निर्धारण/अनुमोदन निदेशक मण्डल की लेखा-परीक्षा समिति (ACB)/स्थानीय प्रबन्धन समिति (LMC) द्‌वारा किया जा सकता है। बैंक को स्वयम अपने ऐसे कर्मचारियों अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जो संगामी लेखा-परीक्षकों के रूप में कार्य कर रहे हों, के बीच पाये जाने वाले भूल अथवा चूक के गंभीर कृत्यों के मामले में जवाबदेही निर्धारित करने हेतु एक नीति तैयार कर लेनी चाहिए। किसी बैंक के पास कार्यरत बाह्य संगामी लेखा-परीक्षकों की अवधि निरंतर आधार पर पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। संगामी लेखा -परीक्षकों के रूप में रखे जाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आयु-सीमा 70 वर्ष पर सीमित रखी जानी चाहिए। बैंक के निदेशक मण्डल की लेखा-परीक्षा समिति अथवा स्थानीय प्रबंधन समिति को संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता और संगामी लेखा-परीक्षकों के कार्य-निष्पादन का वार्षिक आधार पर पुनरीक्षण करना चाहिए तथा उक्त प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए उपयुक्त उपाय करना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र निर्यात के लिए ऋण सीमा बढ़ाई

निर्यात क्षेत्र को ऋण सहायता बढ़ाने की एक मुहिम में भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अधीन घरेलू बैंकों की स्वीकृति-सीमा प्रति उधारकर्ता 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40 करोड़ रुपए कर दी है। इसके अतिरिक्त, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अधीन अब बैंक 100 करोड़ रुपए से अधिक के पण्यावर्त वाली कंपनियों सहित सभी कंपनियों को भी ऋण प्रदान कर सकते हैं जिसके लिए इसके पूर्व ऋणदाताओं को अनुमति नहीं थी। उक्त मुहिम ऋण प्रवाह को बढ़ावा देने तथा हाल के दिनों में निर्गामी पोतलदानों में आई गिरावट को प्रतिवर्तित करने के सरकार के प्रयासों के अनुसरण में आरंभ की गई है। घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के मामले में ‘’पूर्ववर्ती वर्ष की तदनुरूपी तिथि तक 2% तक के वृद्धिशील निर्यात ऋण अथवा तुलनपत्र एक्सपोजर की समतुल्य ऋण रकम, इनमें से जो भी अधिक हो, को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (PSL) के रूप में वर्गीकृत किए जाने” से संबन्धित मौजूदा दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता जारी रहेगी।

विनियामकों के कथन

और दर कटौती की संभावना, क्योंकि आर्थिक वृद्धि मंद हो रही है: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने कहा है कि वृद्धि दर मंद हो जाने के परिणामस्वरूप दर में कटौती की गुंजाइश बन गई है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मूल्य-स्थिरता को बनाए रखना है। ब्याज दरों में किसी कटौती का अर्थ होगा भारत जैसे उभरते बाजार, जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs**) के लिए एक अधिमान्य गंतव्य है, में बेहतर प्रवाह। बहरहाल, भारतीय रिजर्व बैंक किसी आस्ति जमावड़े (**build-up**) से बचने के लिए आगे आने वाले दिनों में संभाव्य प्रभाव-विस्तार (**spill-over**) का पता लगाने हेतु इस अंतर्वाह पर ध्यानपूर्वक निगरानी रख रहा है। राजकोषीय पहलू पर गवर्नर ने यह मत व्यक्त किया है कि सरकार बिलकुल सावधान रही है। उन्होंने राजकोषीय विस्तार आदि के लिए तैयारी करने की दृष्टि से प्रति-चक्रीय (**counter-cyclical**)उपायों की घोषणा नहीं की है। उन्होंने वाहन (**automomobile**), निर्यात एवं बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्रशासनिक और विनियामक कदम भी उठाए हैं।**

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर को बांड आपूर्ति के जोखिम में ह्रास परिलक्षित

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री आर॰ पी॰ कानूनगो के अनुसार केवल पाँच वर्षों में बाँड़ों की मांग आपूर्ति से महत्वपूर्ण रूप से आगे निकल सकती है, किन्तु बांड बाजार जारीकर्ताओं को बाजार से विरत रख सकता है। यह एक विरोधाभाषी स्थिति है। बोली-वांछित (bid-ask**) क्रय-विक्रय दरों में अंतर (**spread**) के प्रभावी तथा उभरते बाजारों में सर्वोत्तम होने के बावजूद अन्य बेंचमार्क प्रतिभूतियों में चलनिधि लगभग पूर्णत: लुप्त हो जाती है जिसका बाजार पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। कारपोरेट ऋण में गौण बाजार इतना निरुद्ध (**illiquid**) होता है कि हम प्राय: यह कह सकते हैं कि ऐसा कोई बाजार है ही नहीं। कुछेक कारपोरेट ऋणों, विशेषत: वित्तीय फर्मों द्वारा जारी ऋणों का रेटिंग संक्रमण चमत्कारिक रहा है- ठोस/सुदृढ़ ऋण से निम्न श्रेणी वाला। बाँड़ों का एक स्वस्थ घरेलू बाजार सुनिश्चित करने के लिए श्री कानूनगो को भारी/बड़े परिमाणों में व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण लगता है। वे यह**

मत व्यक्त करते हैं कि चूंकि बैंक एकमात्र सर्वाधिक संस्थाएं/कंपनियाँ होते हैं, जिनके बाद बीमा कंपनियों, पेंशन निधियों और अब वैकल्पिक निवेश निधियों का स्थान है, इस दिशा में उन्हें आवश्यक रूप से आगे बढ़ना चाहिए।

नई नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम/संगठन
श्री सैमुएल जोसेफ जेबराज	आईडीबीआई बैंक के उप प्रबंध निदेशक (DMD) के रूप में नियुक्त।

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गठजोड़ हुआ	उद्देश्य
भारतीय स्टेट बैंक	एडलविस	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को 3 से 50 लाख रुपए की श्रेणी में व्यवसाय ऋण के रूप में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार देने हेतु।
एचडीएफसी बैंक	भारतीय तेल निगम (IOC)	गैर-महंगरीय शहरोन और कस्बों से प्रयोक्ताओं के लिए एक ऐसे सह-ब्रांडयुक्त फुएल कार्ड जो रूपए और वीसा प्लेटफार्मों पर उपलब्ध होगा।
यूनियन बैंक इंडिया	कैपिटल इंडिया फ़ाइनैन्स लि.	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मॉडल के अनुसार सह-प्रवर्तन मॉडल के अधीन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	30 सितम्बर, 2019 के दिन बिलियन रुपए	30 सितम्बर, 2019 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	3060999	433594

1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	2835158	401615
1.2 सोना	190217	26945
1.3 विशेष आहरण अधिकार	10080	1,428
1.4 अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	25544	3606

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

सितंबर, 2019 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	1.83300	1.65900	1.57200	1.54320	1.52600
जीबीपी	0.67860	0.6698	0.6357	0.6245	0.6186
यूरो	-0.42000	-0.456	-0.455	-0.432	-0.399
जापानी येन	-0.09130	-0.133	-0.149	-0.151	-0.145
कनाडाई डालर	2.11000	1.878	1.820	1.781	1.749
आस्ट्रेलियाई डालर	0.86110	0.800	0.794	0.901	0.934
स्विस फ्रैंक	-0.73750	-0.783	-0.765	-0.731	-0.685
डैनिश क्रोन	-0.33100	-0.359	-0.356	-0.333	-0.299
न्यूजीलैंड डालर	1.02300	0.985	0.960	0.960	0.988
स्वीडिश क्रोन	-0.06800	-0.078	-0.078	-0.055	-0.015
सिंगापुर डालर	1.63800	1.595	1.579	1.578	1.578
हांगकांग डालर	1.63800	1.595	1.579	1.578	1.578
म्यामार	3.55000	3.600	3.700	3.750	3.800

शब्दावली

भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS)

भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) एक ऐसी एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली है जो ग्राहकों को आनलाइन और उसके साथ ही बुनियादी स्तर पर एजेन्टों के नेटवर्क के माध्यम से अंतर-परिचालनीय बिल भुगतान सेवा प्रदान करेगी। उक्त प्रणाली बहुविध भुगतान विधियाँ तथा भुगतान की तुरंत पुष्टि उपलब्ध कराएगी।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

लेनदेन (Transaction) एक्सपोजर

लेनदेन एक्सपोजर अनिश्चितता का वह स्तर होता है जिनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न व्यवसायों को सामना करना पड़ता है। विशिष्ट रूप से, यह इस प्रकार का जोखिम होता है कि किसी फर्म द्वारा कोई वित्तीय बाध्यता/ दायित्व स्वीकार कर लिये जाने के बाद मुद्रा की विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव होगा। बदलती विनिमय दरों के प्रति उच्च स्तर वाली सुभेद्यता के परिणामस्वरूप इन अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों को गंभीर पूंजी हानियां वहन करनी होंगी।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अक्तूबर, 2019 के प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों हेतु परीक्षोंपरांत कक्षा में शिक्षण	17 से 19 अक्तूबर, 2019 तक	चेन्नै
प्रमाणित ऋण व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु परीक्षोंपरांत कक्षा में शिक्षण	17 से 19 अक्तूबर, 2019 तक	नई दिल्ली
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों हेतु परीक्षोंपरांत कक्षा में शिक्षण	17 से 19 अक्तूबर, 2019 तक	कोलकाता
प्रलेखन एवं प्रभार सृजन पर कार्यक्रम	18 से 19 अक्तूबर, 2019 तक	मुंबई
बैंकिंग अनुपालन व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत भौतिक विधि से प्रशिक्षण	20 से 24 अक्तूबर, 2019 तक	मुंबई
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों हेतु परीक्षोंपरांत कक्षा में शिक्षण	21 से 23 अक्तूबर, 2019 तक	बेंगलूरू
वित्तीय सेवाओं में जोख़िम पर प्रमाणपत्र पाठयक्रम	21 से 23 अक्तूबर, 2019 तक	नई दिल्ली
प्रमाणित ख़जाना व्यावसायिकों हेतु परीक्षोंपरांत कक्षा में शिक्षण	21 से 23 अक्तूबर, 2019 तक	कोलकाता
बैंकों में जोख़िम प्रबंधन पर कार्यक्रम	22 से 24 अक्तूबर, 2019 तक	मुंबई

प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों हेतु परीक्षोंपरांत प्रौद्योगिकी पर आधारित विधि से प्रशिक्षण	23 से 25 अक्तूबर, 2019 तक	वीसीआरटी

संस्थान समाचार

विधिक लेखा-परीक्षा पर वेबिनार

अपनी सदस्य शिक्षण शृंखला के एक अंग के रूप में तथा बैंकिंग एवं वित्त के प्रभाव क्षेत्र में हो रही महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बैंकरों के बीच उच्चतर स्तर वाली जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संस्थान ने 10 अक्तूबर, 2019 को एक अत्यंत समसामयिक विषय "विधिक लेखा-परीक्षा" (Forensic audit) पर अपने पहले वेबिनार का आयोजन किया। उक्त विषय पर व्याख्यान श्री रमेश कौशिक, एफसीए, संकाय, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा दिया गया।

नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नै में कार्यशालाएं

संस्थान द्वारा 06/09/2019 को नई दिल्ली में "दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016" पर एक एक-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (IBBI) के अध्यक्ष डा. एम. एस. साहू ने उदघाटन भाषण दिया। इस अवसर पर पंजाब नैशनल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के उपाध्यक्ष श्री सुनील मेहता भी उपस्थित रहे। संस्थान द्वारा डिजिटल सिक्योरिटी एसोसिएशन आफ इंडिया के सहयोग से 13 सितंबर, 2019 को चेन्नै में "बैंकिंग टुडे : सिक्योर ई-बैंकिंग" पर एक एक-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उदघाटन भाषण इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री कर्णम शेखर द्वारा दिया गया तथा सत्रों का संचालन विषय के विशेषज्ञों द्वारा किया गया। संस्थान द्वारा 26 सितंबर, 2019 को कोलकाता में "इमरजिंग टेकनालोजीस" पर एक अर्ध-दिवसीय कार्यशाला का

आयोजन किया गया। उदघाटन भाषण यूको बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री चरण सिंह

द्वारा दिया गया तथा सत्रों का संचालन विषय के विशेषज्ञों द्वारा किया गया।

10वां आर॰ के॰ तलवार स्मारक व्याख्यान

संस्थान द्वारा आयोजित किया जाने वाला 10वां आर॰ के॰ तलवार स्मारक व्याख्यान भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलहकर श्री संजीव सान्याल द्वारा 22 नवंबर, 2019 को दिया जाने वाला है। उक्त व्याख्यान का विषय है "डीलिंग विद अनसर्टेन वर्ल्ड : रेग्यूलेशन बनाम सुपरविजन"

आत्म-समगामी ई-शिक्षण (SPeL) पाठ्यक्रम

संस्थान को अपने दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों-यथा डिजिटल बैंकिंग और बैंकिंग में नैतिकता के लिए आत्म-समगामी (self-paced) ई-शिक्षण पाठ्यक्रमों की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस आत्म-समगामी ई-शिक्षण का उद्देश्य बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्रों में नियोजित व्यावसायिकों को एक अधिक सहायक प्रशिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है। आत्म-समगामी ई-शिक्षण विधि में अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु पंजीकरण कराने, स्वयम अपनी गति से सीखने और अंत में स्वयम अपने स्थान से परीक्षा में शामिल होने की सुविधा प्राप्त होगी। उक्त दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आनलाइन पंजीकरण 9 अप्रैल, 2019 से प्रारम्भ हो गए हैं। अधिक विवरण के लिए कृपया लिंक http://www.iibf.org.in/documents/SPeLnotice.pdf देखें।

कारबार संपर्कियों का अनिवार्य प्रमाणन

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और भुगतान बैंकों दोनों के कारबार संपर्कियों के प्रमाणन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बाइंकिन एंड फाइनैएनएस को एकमात्र प्रमाणन एजेंसी के रूप मेन अभिज्ञात किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उक्त परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम संशोधित कर दिया गया है। संस्थान ने कारबार संपर्कियों के प्रमाणन के लिए सीएसआर -ई- अभिशासन (CSR-e- Governance) के साथ गठजोड़ भी कर रखा है।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

"बैंक क्वेस्ट" के आगामी अंक अक्तूबर - दिसंबर, 2019 के लिए विषय-वस्तु है : "वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता" (Financial Inclusion & Financial Literacy)**।**

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) **संस्थान द्वारा फरवरी, 2019 से जुलाई, 2019 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2019 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।**

(ii) **संस्थान द्वारा अगस्त, 2019 से जनवरी, 2020 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 दिसंबर, 2019 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।**

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

प्रशिक्षण

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सहकारी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अधिकरियों के लिए विभिन्न विषयों तथा क्षेत्रों के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है।

ऋण प्रबंधन
ऋण मूल्यांकन
ऋण निगरानी
वसूली प्रबंधन
उन्नत ऋण मूल्यांकन

एकीकृत खजाना प्रबंधन
खुदरा बैंकिंग
आवास वित्त
जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा

सामान्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
शाखा प्रबन्धकों का कार्यक्रम
हानि वहन करने वाली शाखाओं के लिए
कायापलट रणनीतियाँ
प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम
अपने ग्राहक को जानिए/धन-शोधन निवारण/
आतंकवाद की रोकथाम
अनुपालन

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम

अनुभवी एवं अर्हताप्राप्त संकाय सदस्य - प्रशिक्षु -उन्मुख पद्धति
शिक्षण को प्रोत्साहित करने वाला वातावरण

चेन्नै, नयी दिल्ली और कोलकाता स्थित व्यावसायिक विकास केन्द्रों में प्रशिक्षण सुविधाएं
बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित आवश्यकतानुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

कृपया और अधिक विवरण के लिए इनसे संपर्क करें :
डा. टी. सी. जी. नंबूदिरी, निदेशक (प्रशिक्षण)
ईमेल: drnamboodiri@iibf.org.in

फोन : 022 25037119; सेल +91 99203 78486

सुश्री रविता वाधवा, उप निदेशक-प्रशिक्षण
फोन +91-22-25047112; सेल +9198718 99953
ईमेल ravita@iibf.org.in

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग अथवा एंड फाइनैन्स (आईआईबीएफ)
कारपोरेट कार्यालय, 3री मंजिल, कोहिनूर सिटी कमर्शियल ई टावर-ई, मुंबई -400 070, भारत
www.iibf.org.in

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की ख़बरें

भारित औसत मांग दरें

6.2
6
5.8
5.6
5.4
5.2
5
4.8

अप्रैल, 2019, मई, 2019, जून, 2019, जुलाई, 2019, अगस्त, 2019, सितंबर, 2019
स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम न्यूज़लेटर, सितंबर, 2019

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

95
90
85 अमरीकी डालर
80 जीबीपी
75 यूरो
70 येन
65
60
55
50

अप्रैल, 2019, मई, 2019, जून, 2019, जुलाई, 2019, अगस्त, 2019, सितंबर, 2019
स्रोत : फाइनैन्सियल बेंचमार्क आफ इंडिया लिमिटेड (FBIL)

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

13.5
13
12.5
12
11.5
11
10.5
10
मार्च, 2019, अप्रैल, 2019, मई, 2019, जून, 2019, जुलाई, 2019, अगस्त, 2019
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, सितम्बर, 2019

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

42000.00
40000.00
38000.00
36000.00
34000.00
32000.00
30000.00

अप्रैल, 2019, मई, 2019, जून, 2019, जुलाई, 2019, अगस्त, 2019, सितम्बर, २०१९
स्रोत : बंबई शेयर बाजार (B S E)

समग्र जमा वृद्धि %

12
11
10

9
8
7
6
5

मार्च, 2019, अप्रैल, 2019, मई, 2019, जून, 2019, जुलाई, 2019, अगस्त, 2019
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, सितम्बर, 2019

डा. जे. एन. मिश्र द्वारा मुद्रित, डा. जे. एन. मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डा. जे. एन. मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विजन अक्तूबर, 2019